Rec 4/7/11

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 1696/जी–668/2011/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 27 जून, 2011

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

1 JUL 2011

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किये जाने वाले जारी राशन कार्डो की वैधता के संबंध मे ।

–––000–––

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) मे गरीबी रेखा से नीचे के घोषित व्यक्तियों को उनके द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2/– शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2007–2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गये राशन कार्डो का उपयोग निःशुल्क सूचना प्राप्ति हेतु किया जा रहा है। जबकि इन कार्डो पर यह स्पष्ट उल्लेख भी होता है कि " राशन कार्ड किसी वैधानिक उपयोग के लिए मान्य नहीं किया जावेगा तथा किसी भी अन्य व्यक्ति के पहचान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

3/– अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **"मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनान्तर्गत" वर्ष 2007–2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गए राशन कार्डो को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निः शुल्क जानकारी प्रदाय करने के लिए मान्य न किया जाये ।**

4/– कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय से आपके विभाग/कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों को अवगत कराया जाए ।

राज्य सूचना आयोग
क्रमांक 6711
02 JUL 2011
हस्ताक्षर

(के0आर0 मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

25/6/2011

C-1\E:\Ekka\Ekka Letters\299

पृ0 क्रमांक 1697/जी–668/2011/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 25 जून, 2011

प्रतिलिपि :–

1/– महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।

2/– मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।

3/– सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,शंकर नगर रायपुर । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

25/6/2011

पृ.क्रमांक 517/स्था/छगरासूआ/11 रायपुर, दिनांक: 19/08/2011

प्रतिलिपि:

1- निज सहायक, मुख्य सूचना आयुक्त, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
2- स्टाफ आफिसर, , छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
3- सचिव, , छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
4- उपसचिव/अवर सचिव/लेखाधिकारी/अनुभाग अधिकारी, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
5- वाचक कमांक 1,2, एवं 3 , छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।

19/8/11

O/C उपसंचालक (जनसंपर्क)
छ.ग. राज्य सूचना आयोग
रायपुर